

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर**

क्रमांक:- नर्सिंग/न० आ०/स्था०/जोन-बीकानेर/233/2023/

दिनांक:-

**आदेश**

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत कार्मिका द्वारा कॉलम संख्या 7 में अंकित दिनांक को दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से नियमित/स्थायी करते हुये इन्हे इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है, एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	कार्मिका की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिवीक्षाकाल की गणना की जानी है।	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	द्रोपदी	श्रीगंगानगर	14.03.1993	11.08.2020	—	10.08.2022	11.08.2022
02	सुमन कुमारी	श्रीगंगानगर	15.10.1981	11.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
03	प्रतिभा कुमारी खालिया	श्रीगंगानगर	21.03.1995	04.05.2020	—	03.05.2022	04.05.2022
04	सुन्दर फत्यान	बीकानेर	15.07.1986	09.10.2020	—	08.10.2022	09.10.2022
05	संतोष	बीकानेर	10.05.1980	10.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
06	सुमन	बीकानेर	01.01.1985	10.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
07	सुनिता कुमारी गहलोत	बीकानेर	12.10.1963	10.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
08	पुष्पा कुमारी हुडा	बीकानेर	15.07.1989	11.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(2) एफडी/रूल्स/06/part -1 दिनांक 08.08.2019 व 25.10.2019 एवं 06.01.2020 के अनुसरण में नियमानुसार परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/न० आ०/स्था०/जोन बीकानेर/233/2023/440 दिनांक:- 11.09.2023

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-बीकानेर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी- श्रीगंगानगर, बीकानेर।
- 3 संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- 4 संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
- 5 संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 6 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर ई-मेल करें।
- 7 आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर।